

रूप क्रमांक 2
(दशिय नियम 7)

2258/05
23/9/05

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 04/20/01/08603/05

यह प्रमाणित किया जाता है कि रमा देवी शिक्षण एवं सेवा समिति समिति जो बाजार चौक मेन रोड डिण्डोरी तहसील डिण्डोरी जिला डिण्डोरी में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 23/09/2005 को पंजीयित की गई है।

दिनांक तेईस, माह सितम्बर, सन् 2005,



बी. एस. सोलंकी
समिति सचिव/रजिस्ट्रार
कर्म एवं संस्थाएं जयपुर

रि.

नियमावली

28/2020
28/7/2020

- (1) समिति का नाम - रमादेवी शिक्षण एवं सेवा समिति होगा।
- (2) समिति का कार्यालय - बाजार चौक मेन रोड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) होगा।
- (3) समिति का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ होगा।
- (4) समिति का उद्देश्य इस प्रकार होंगे :-
 1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
 2. विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना करना।

संज्ञा नं. 8603-...
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 23/9/2005
मशोधन का दिनांक 28/7/2020

अभिषेक रजिस्ट्रार

(5) सदस्यता :- संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

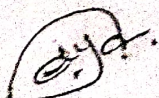
- अ. संरक्षक सदस्य - संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 50000/- या अधिक एक मुस्त या साल में बारह किशतों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
- ब. आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 25000/- या अधिक देगा। वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 25000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

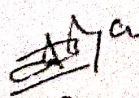


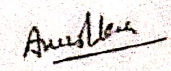
साधारण सदस्य- जो व्यक्ति 100/- प्रतिमाह या 1200/- प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा। जिसके लिए वह चंदा दिया जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों से 6 माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सममान्य सदस्य- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती हैं। ऐसे सदस्य साधारण समा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

- (6) सदस्यता की प्राप्ति- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा, जिसे आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
- (7) सदस्यों की योग्यता - संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।
 1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
 2. भारतीय नागरिक हो।
 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
 4. सदचरित्र हो मद्यपान न करता हो।
- (8) सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।
 1. मृत्यु हो जाने पर
 2. पागल हो जाने पर
 3. संस्था की देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
 4. चारित्रिक दोष होने की सूचना सदस्य को निम्नलिखित रूप में देनी होगी। जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को निम्नलिखित रूप में देनी होगी।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जायेंगे।

1. प्रत्येक सदस्य का नाम/पता तथा व्यवसाय।
2. वह तारीख जिसको सदस्यो को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) अ. साधारण सभा:- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे, साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 5 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक कोरम 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेंगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जायेगी उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा - प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का ऐजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन के पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगा। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेंगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

सं. विशेष - यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आदेवन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

- क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- ख. संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- ग. आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।
- च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- छ. बजट का अवलोकन करना।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन - ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन, समिति के पदेन सदस्य रहेंगे।

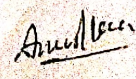
नियम 5 अ,ब,स, में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव,
4. कोषाध्यक्ष
5. सहसचिव एवं 02 सदस्य।

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल - प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष को होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

14.

प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य -

- अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- ब. पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
- स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था के चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- ई. अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।
- च. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
- छ. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15.

अध्यक्ष के अधिकार - अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16.

उपाध्यक्ष के अधिकार - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17.

सचिव (निर्वाह) के अधिकार -

साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 500/- रुपये खर्च करने का अधिकार होगा।
5. सचिव की अनुपस्थितिमें सह-सचिव कार्य करेगा।

18.

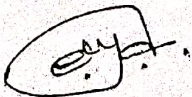
कोषाध्यक्ष के अधिकार - समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति व्यय करना।

19.

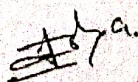
बैंक खाता - संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 500/- रहेंगे।

20.

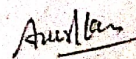
पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी - अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।



अध्यक्ष



सचिव



कोषाध्यक्ष

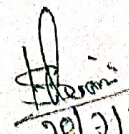
21. संशोधन — संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थान हो होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
22. विघटन — संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. सम्पत्ति — संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति संस्था के नाम रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति प्रबंध कार्यकारिणी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर विक्रय, दान एवं बंधक की जा सकेगी।
24. बैंक खाता — संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय पर धन निकालने व जमा करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना — संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने से पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित करेगा।
26. विवाद — संस्था में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा से अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि यह निश्चित या निर्णय से पक्षों से संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधक समिति के विवाद अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।




अध्यक्ष

रजिस्ट्रेशन नम्बर 8603
रजिस्ट्रार का दिनांक 23/9/2005
संशोधन का दिनांक 28/7/2020
सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोषाध्यक्ष

सत्य-प्रतिमिति

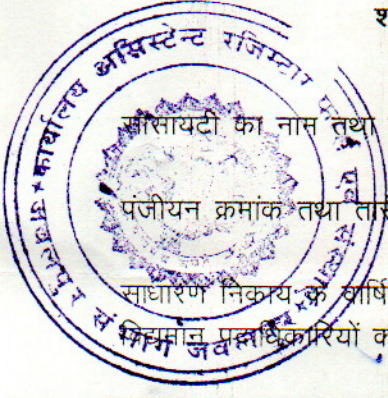

28/3/2020
Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

प्रारूप सात
(निमय 11 देखिये)

23/12/2026
1/11/2026

1

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन
शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र



सोसायटी का नाम तथा पूरा पता

पंजीयन क्रमांक तथा तारीख

साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख

निम्नानुसार प्राधिकारियों की सूची - कार्यकाल तारिख

- रमादेवी शिक्षण एवं सेवा समिति,
बाजार चौक, डिण्डौरी, जिला - डिण्डौरी
- 04/20/01/08603/05
दिनांक 23/09/2005
- 20/04/2025
- 20/04/2025 से तारिख 19/04/2028 तक

क्रं.	नाम/पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	पद	व्यवसाय	
1	श्री बद्री प्रसाद बिलैया पिता स्व. श्री सीताराम बिलैया	बाजार चौक मेन रोड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	अध्यक्ष	व्यापार	
2	श्री पी.एन.अवस्थी पिता स्व. श्री अर्जुन प्रसाद अवस्थी	नर्मदा गंज वार्ड नं. 09 डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त शिक्षक	
3	श्री अनुराग बिलैया पिता श्री बद्री प्रसाद बिलैया	बाजार चौक मेन रोड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	सचिव	निदेशक	
4	श्रीमती नीता बिलैया पति स्व.श्री मनीष बिलैया	बाजार चौक मेन रोड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	कोषाध्यक्ष	ग्रहणी	
5	श्री दिनेश गुप्ता पिता श्री लक्ष्मण दास जी गुप्ता	खरी फाटक रोड विदिशा जिला विदिशा (म.प्र.)	सहसचिव	कृषि	
6	श्रीमती पुष्पा अवस्थी पति श्री पी.एन.अवस्थी	नर्मदा गंज वार्ड नं. 09 डिण्डौरी जिला डिण्डौरी (म.प्र.)	सदस्य	ग्रहणी	
7	श्री देशांत सुहाने पति श्री हरिशंकर सुहाने	म.नं. बी-10 कुचैनी परिसर, दमोह नाका जबलपुर (म.प्र.)	सदस्य	व्यापार	

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं.44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन 4000/- रुपये की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक (CIN) SBIN0006159147510032026262814 दिनांक 10/03/2026 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी प्रति संलग्न है।

घोषणा

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

मैं इंजी. अनुराग बिलैया पुत्र श्री बद्री प्रसाद बिलैया आयु 44 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 के उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूँगा।

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

SECRETARY
RAMADEVI SHIKSHAN
& SEVA SAMITI
DINDORI (M.P.)
नाम इंजी. अनुराग बिलैया
सचिव